जनजाति कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 95

जनजाति कार्य मंत्रालय

क. वसूलियॉं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	3540.21	14.84	3555.05	4020.00	18.00	4038.00	3031.90	15.55	3047.45	4209.00	16.94	4225.94
	पूंजी	***70.00***	...	*70.00*	*70.00*	...	*70.00*	*68.10*	...	*68.10*	*70.00*	...	*70.00*
	जोड़	**3610.21**	**14.84**	**3625.05**	**4090.00**	**18.00**	**4108.00**	**3100.00**	**15.55**	**3115.55**	**4279.00**	**16.94**	**4295.94**
1. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	2251	0.28	10.27	10.55	1.40	11.39	12.79	1.40	11.04	12.44	2.80	11.67	14.47
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण													
अनुसूचित जातियों का कल्याण													
2. जनजातिय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना	3601	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	61.00	...	61.00	75.00	...	75.00
3. पीएमएस, पुस्तक बैंक और अ.ज.जा. के छात्रों की योग्यता उन्नयन की स्कीम	2225	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	3601	867.37	...	867.37	629.60	...	629.60	628.74	...	628.74	624.90	...	624.90
	जोड़	*867.47*	...	*867.47*	*629.70*	...	*629.70*	*628.84*	...	*628.84*	*625.00*	...	*625.00*
4. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225	...	...	...	1.00	...	1.00	0.33	...	0.33	1.00	...	1.00
	3601	...	...	...	80.00	...	80.00	106.40	...	106.40	201.19	...	201.19
	जोड़	...	...	...	*81.00*	...	*81.00*	*106.73*	...	*106.73*	*202.19*	...	*202.19*
5. अनु.जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की स्कीम	2225	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	3601	73.00	...	73.00	63.00	...	63.00	63.00	...	63.00	100.80	...	100.80
	जोड़	*78.00*	...	*78.00*	*68.00*	...	*68.00*	*68.00*	...	*68.00*	*105.80*	...	*105.80*
6. उत्कृष्ठता / उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान योजना	2225	6.97	...	6.97	13.00	...	13.00	10.11	...	10.11	13.00	...	13.00
7. राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना	2225	0.78	...	0.78	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
8. अनुसूचित जातियों के कल्याण के अन्य कार्यक्रम	2225	207.83	4.57	212.40	213.40	6.61	220.01	140.08	4.51	144.59	227.81	5.13	232.94
	3601	255.37	...	255.37	263.20	...	263.20	190.90	...	190.90	263.20	0.14	263.34
	जोड़	*463.20*	*4.57*	*467.77*	*476.60*	*6.61*	*483.21*	*330.98*	*4.51*	*335.49*	*491.01*	*5.27*	*496.28*
जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण		**1491.42**	**4.57**	**1495.99**	**1344.30**	**6.61**	**1350.91**	**1206.66**	**4.51**	**1211.17**	**1513.00**	**5.27**	**1518.27**
राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता													
9. जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय	3601	977.34	...	977.34	1200.00	...	1200.00	852.54	...	852.54	1200.00	...	1200.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
सहायता													
10. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (I) के अधीन स्कीमों के लिए सहायता	3601	1084.83	...	1084.83	1317.00	...	1317.00	820.00	...	820.00	1317.00	...	1317.00
जोड़-राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता		**2062.17**	**...**	**2062.17**	**2517.00**	**...**	**2517.00**	**1672.54**	**...**	**1672.54**	**2517.00**	**...**	**2517.00**
जोड़-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		**3553.59**	**4.57**	**3558.16**	**3861.30**	**6.61**	**3867.91**	**2879.20**	**4.51**	**2883.71**	**4030.00**	**5.27**	**4035.27**
सरकारी उद्यमों में निवेश													
11. राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	4225	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	68.10	...	68.10	70.00	...	70.00
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ – परियोजनाओं / योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	157.30	...	157.30	151.30	...	151.30	176.20	...	176.20
13. वास्तविक वसूलियां	3601	-13.66	...	-13.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***3610.21***	***14.84***	***3625.05***	***4090.00***	***18.00***	***4108.00***	***3100.00***	***15.55***	***3115.55***	***4279.00***	***16.94***	***4295.94***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
12. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	22225	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	68.10	...	68.10	70.00	...	70.00
जोड़		**70.00**	**...**	**70.00**	**70.00**	**...**	**70.00**	**68.10**	**...**	**68.10**	**70.00**	**...**	**70.00**
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	0.28	...	0.28	1.40	...	1.40	1.40	...	1.40	2.80	...	2.80
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख़्यकों का कल्याण	22225	1561.42	...	1561.42	1414.30	...	1414.30	1274.76	...	1274.76	1583.00	...	1583.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	157.30	...	157.30	151.30	...	151.30	176.20	...	176.20
जोड़ - केन्द्रीय योजना		**1561.70**	**...**	**1561.70**	**1573.00**	**...**	**1573.00**	**1427.46**	**...**	**1427.46**	**1762.00**	**...**	**1762.00**
राज्य योजना:													
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	1084.83	...	1084.83	1317.00	...	1317.00	820.00	...	820.00	1317.00	...	1317.00
2. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	43601	963.68	...	963.68	1200.00	...	1200.00	852.54	...	852.54	1200.00	...	1200.00
जोड़ - राज्य योजना		**2048.51**	**...**	**2048.51**	**2517.00**	**...**	**2517.00**	**1672.54**	**...**	**1672.54**	**2517.00**	**...**	**2517.00**
जोड़		**3610.21**	**...**	**3610.21**	**4090.00**	**...**	**4090.00**	**3100.00**	**...**	**3100.00**	**4279.00**	**...**	**4279.00**

1. यह व्यवस्था जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. योजना के तहत राज्य सरकारों को हिस्सेदारी के आधार पर अर्थात सीखने के लिए प्रेरक वातावरण प्रदान करने हेतु अनुसूचित योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु छात्रावास सहित आश्रम विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 50:50 (संघ राज्य क्षेत्र के मामले में 100%) के आधार पर सहायता अनुदान दिया जाता है | राज्य सरकारें लड़कियों के सभी आश्रम विद्यालयों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात) में लड़कों के आश्रम विद्यालय के लिए भी 100% केन्द्रीय अनुदान हेतु पात्र हैं|

3. मैट्रिक के बाद की संशोधित छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को योजना में उल्लिखित भारत के अंदर मान्यताप्राप्त संस्थाओं में मान्यताप्राप्त मैट्रिक के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी प्रतिबद्ध देनदारी के अलावा, जो उन्हें अपने संसाधनों से वहन करनी होती है, 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित वचनबद्ध देनदारी समाप्त कर दी गई है। पुस्तक बैंक की योजना का पीएमएस के साथ विलय कर दिया गया है। अभी यह पीएमएस का घटक है। योग्यता उन्नयन की योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अपने परिणाम सुधारने के लिए संबंधित विषयों में ऐसे कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करती है।

4. मैट्रिक पूर्व योजना कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए है| केन्द्रीय सरकार के 100% व्यय के साथ यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रुप में प्रस्तावित की गई है (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रतिबद्धदेयता के अलावा)| यह योजना उन सभी अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कवर करेगी जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं है| यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है|

5. अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास योजना के तहत छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं| लड़कों के छात्रावास के निर्माण के लिए, राज्य सरकार को 50%, विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा) को 45%, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90% तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केन्द्रीय अंश प्रदान किया जाता है| लड़कियों के सभी छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/केन्द्रीय/अन्य विश्वविद्यालयों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है| नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अभिज्ञात किए गए) में लड़कों के छात्रावास के निर्माण के लिए राज्य सरकार को 100% केन्द्रीय अनुदान भी प्रदान किया जाता है| यह योजना अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों तथा लड़कों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में एक प्रभावी यंत्र है|

6. इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों को, जो उत्कृष्ट संस्थानों में प्रवेश पाते हैं, शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

7. राष्ट्रीय विदेशी स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सिर्फ इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है।

8. यह प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय या अंतरराज्य स्वरूप की परियोजनाओं की सहायता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, ट्राइफेड को जनजातीय उत्पादों के संबंध में खुदरा विपणन विकास, एवं प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, अनुसूचित जनजाति के दस्तकारों और लघु वन-उत्पाद संग्राहकों का क्षमता निर्माण तथा सग्रह निधि के सृजन के लिए समर्थन, लघु वन उत्पादों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारिता निगमों को सहायता अनुदान, जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षणिक काम्प्लेक्स, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के दूसरे परंतुक के खण्ड(क) के अंतर्गत असम सरकार को अनुदान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति समूहों के विकास, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप योजना के अंतर्गत एम-फिल और पी.एच.डी. जैसी उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को फैलोशिप देने की व्यवस्था है।

9. मंत्रालय राज्य की जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता देते हुए राज्य सरकार के प्रयासों को समर्थन देता है| टीएसपी को विशेष केन्द्रीय सहायता का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र रोजगार-सह-आय सृजन गतिविधियां और परिवार आधारित अवसंरचना आनुषांगिक हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) समुदाय आधारित के लिए भी इसे शामिल किया गया है| टीएसपी को एससीए प्रदान करने का मूल उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में मांग-आधारित आय-सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और इस प्रकार जनजातियों के आर्थिक व सामाजिक स्तर को उठाना है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय 22 टीएसपी राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था करता है। "वन ग्रामों का विकास" कार्यक्रम भी इस शीर्ष के तहत वित्तपोषित किया जाता है। इसे वन-ग्रामों के निवासियों के मानव विकास सूचकांक (एचडी.आई.) को ऊंपर ऊठाने की दृष्टि से वन-ग्रामों के एकीकृत विकास हेतु और मूल सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने हेतु एककालिक उपाय के रूप में 2005-06 के दौरान शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, मूल सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित अवसंरचनात्मक कार्य का कार्यान्वियन शुरु किया गया है। इस समय 12 राज्यों में 2,474 वन ग्राम/निवास फैले हुए हैं।

10. इस प्रावधान के अन्तर्गत 22 टी.एस.पी. राज्यों और 4 जनजातीय बहुल राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं ताकि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का सृजन किया जा सके और राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को राज्य के शेष हिस्सों में विद्यमान प्रशासन के स्तर तक लाया जा सके ताकि उन्हें शेष विकसित क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके। अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सहायता परियोजना लक्षित है और अनुसूचित जनजातियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय की स्थापना करने/चलाने हेतु निधिपोषण भी किया गया है। जून, 2010 में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों हेतु दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे।

11. यह प्रावधान विभिन्न राज्यों में जनजाति विकास निगमों के शेयर पूंजीगत निवेश में भागीदारी के लिए है (i) जो अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्त जुटाते हैं। (ii) राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा समर्थन चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तपोषण योजनाओं/परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) को दिया जाता है।

12. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु है।